FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

P.S. Year 1. District

2024 C.P.S Jaipur (वर्ष): ACB DISTRICT (थाना): (जिला):

2. FIR No. Date and Time of FIR 17/05/2024 17:28 बजे 0086 (प्र.सू.रि.सं): (एफआईआर की तिथि/समय):

S.No. (क्र.सं.) 1	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)	
	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(e)	
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)	
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)	
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)	

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

Date To **Date From** 10/02/1983 13/05/2016

(दिनांक से): Time From Time Period Time To

00:00 बजे 00:00 बजे पहर (समय अवधि): (समय से): (समय तक):

(b) Information received at P.S. Time Date 13:30 बजे 17/05/2024 (दिनांक): (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): (समय):

(c) General Diary Reference Date & Time Entry No. 17/05/2024 17:28:58 बजे

001 (दिनांक एवं समय) (प्रविष्टि सं.): (रोजनामचा संदर्भ):

लिखित 4. Type of Information (सूचना का प्रकार):

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

(थाना का नाम):

Beat No. 1. (a) Direction and distance from P.S. SOUTH-EAST, 250 किमी NOT APPLICABLE (थाने से दिशा और दूरी): (बीट सं.):

(b) Address (पता): 1 J 9, MAHAVEER NAGAR VISTAR YOJNA, KOTA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S District(State) (जिला (राज्य)): 6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ANISH AHMED

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):

15/07/1973

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क .	Address Type	Address
सं.)	(पता का प्रकार)	(पता)
1	वर्तमान पता	71, RAILWAY HOUING SOCIETY, BAJRANG NAGAR,
		BORKHERA, KOTA CITY, RAJASTHAN, 324001, INDIA
2	स्थायी पता	71, RAILWAY HOUING SOCIETY, BAJRANG NAGAR,
		BORKHERA, KOTA CITY, RAJASTHAN, 324001, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

91-9460222220

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURESH SHARMA		पिता:LALLU LAL	1. 1 J 9,MAHAVEER
			SHARMA	NAGAR, VISHTAR
				YOJANA,KOTA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

		Property Type (सम्पत्ति	Description	Value(In Rs/-)
(क्र.सं.)	(सम्पत्ति श्रेणी)	के प्रकार)	(विवरण)	(मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		52,89,954.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

52,89,954.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number (क्र.सं.) (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय हालात इस प्रकार है कि परिवादी श्री शैलेन्द्र मंगल पुत्र श्री ब्रह्मप्रकाश मंगल जाति महाजन निवासी 156 बल्लभबाड़ी कोटा ने ब्यूरो कार्यालय कोटा में दिनांक 10.05.2016 को श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री लल्लू लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 1 जे 9 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक भामाशाह कृषि उपज मण्डी कोटा हाल सेवानिवृत्त के विरूद्व शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैंने अपनी फर्म वेदांता एण्ड कंपनी जिसकी प्रोपराईटर मेरी पत्नी है, के लिये कृषि उपज मण्डी में व्यापार करने हेतु आड़त के लाईसेंस हेतु करीब 15 दिन पूर्व आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद लाईसेंस जारी करने के लिये कृषि उपज मण्डी में संबंधित बाबू श्री सुरेश शर्मा से मिला तो उन्होंने मेरे से लाईसेंस जारी करने हेतु 13,000 रूपये की रिश्वत की मांग की थी, जिनमें से मैंने 10,000 रूपये करीब 8 दिन पूर्व दे दिये थे तथा बाकी के 3000 रूपये बाद में देने की बात हुई थी। श्री सुरेश शर्मा मेरे से मेरा आड़त लाईसेंस जारी करवाने के लिये 3000 रूपये की और मांग कर रहा है। मैं सुरेश शर्मा को यह रिश्वत के 3000 रूपये नहीं देना चाहता। उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी सुरेश शर्मा से कोई आपसी रंजिश नहीं है, ना ही हम दोनों के बीच कोई उधार का लेन देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें इत्यादि। इस पर बाद रिश्वत मांग सत्यापन के ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री सुरेश चन्द शर्मा को दिनांक 13.05.2016 को 3000 रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के विरूद्व बाद ट्रेप कार्यवाही उसके मकान 1 जे 9 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा की तलाशी हेत् सक्षम न्यायालय से वारंट प्राप्त किये जाने में समय लगने की पूर्ण संभावना होने तथा आरोपी के निवास से अवैध सम्पत्ति एवं साक्ष्य समाप्त होने की संभावना के मध्यनजर स्वतंत्र गवाह श्भम सोनी कनिष्ठ लिपिक एवं श्री जोधराज सैनी कनिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला परिषद कोटा के समक्ष आरोपी के निवास की नियमानुसार तलाशी श्री अरूण माच्या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्पेशल युनिट भ्र.नि.ब्यूरो कोटा द्वारा ली गई। ट्रेप कार्यवाही पर प्रकरण संख्या 113/2016 पंजीबद्व हुआ। खाना तलाशी में आरोपी श्री सुरेश शर्मा तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक भामाशाह कृषि उपज मण्डी कोटा हाल सेवानिवृत्त के निवास स्थान में आरोपी की पत्नी व पुत्रों एवं पुत्री के साथ निवास करना पाया गया। खाना तलाशी की जांच में चैक पीरियड दिनांक 10.02.1983 से 13.05.2016 तक की अवधि की आरोपी श्री सुरेश शर्मा के आय व्यय की गणना प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर की गई। आरोपी श्री स्रेश शर्मा की आय-व्यय की गणना की गई जो निम्नानुसार है- चैक अवधि दिनांक 10.02.1983 से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण क्रम संख्या परिसंपत्ति का विवरण खरीदने/निवेश की दिनांक/वर्ष किसके नाम खरीदी गई- आरोपी से संबंध परिसंपत्ति का मूल्य परिसंपत्ति की वर्तमान स्थिति 1 2 3 4 5 6 - - - - - चैक अवधि दिनांक 10.02.1983 से 13.05.2016 के अंत तक मौजूद परिसम्पत्तियों का विवरण के संबंध में आरोपी के रिहायशी मकान 1-जे-9 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा की खानातलाशी में मिले इस्तेमाली सामानों की अनुमानित लागत उक्त मकान की साईज 67.5 वर्ग मीटर की है जो चार मंजिला भवन बना हुआ है जिसकी सा.नि.वि. कोटा की गठित कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खानातलाशी में आरोपी के घर से बरामद नगद राशि, आरोपी के नाम बी 3 जय श्री बिहार थेगड़ा कोटा में क्रय किये गये प्लाट, सेवरलेट बीट एक कार, मोटर साईकिल, स्कूटर, आईसीआईसीआई बैंक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं एलआईसी से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी की परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है- क्रम संख्या परिसंपत्ति का विवरण खरीदने/निवेश की दिनांक/वर्ष किसके नाम खरीदी गई- आरोपी से संबंध परिसंपत्ति का खरीद मूल्य (राशि रूपयों में) 1 2 3 4 5 1 रिहायशी मकान 1 जे 9 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा साईज 67.5 वर्ग मीटर में इस भूखंड पर निर्मित चार मंजिला भवन है। सा.नि.वि. कोटा की गठित कमेटी रिपोर्ट पत्रांक 2812 दिनांक 06.02.23 के अनुसार) खरीद वर्ष 1995 एवं निर्माण वर्ष भूतल -2000 प्रथम तल-2009 द्वितीय तल-2010 तृतीय तल-2014 श्री स्रेश शर्मा (स्वयं के नाम) 4800107 2 फर्द खाना तलाशी के अनुसार घर में मिले इस्तेमाली सामानों की अनुमानित लागत - श्री सुरेश शर्मा (स्वयं के नाम) 121400 3 खाना तलाशी में आरोपी के घर से बरामद नकद राशि - श्री सुरेश शर्मा (स्वयं के नाम) 1228000 4 प्लॉट बी 03 जय श्री विहार थेकडा कोटा क्रय एवं अन्य खर्च दिनांक 26.06.2014 श्री सुरेश शर्मा (स्वयं के नाम) 1385180 5 एक कार सेवरलेट बीट वर्ष 2012 श्री सुरेश शर्मा (स्वयं के नाम) 480313 6 मोटर साईकिल आजे 20 एस एफ 8885 वर्ष 2007 श्री सुरेश शर्मा (स्वयं के नाम) 50000 7 एक स्कूटर बजाज वर्ष 1998 श्री सुरेश शर्मा (स्वयं के नाम) 25000 8

आईसीआईसीआई बैक खाता नम्बर 687401412513 श्री सुरेश शर्मा (स्वयं के नाम) 45297 9 ऑरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स खाता नम्बर 51412010001940 श्री सुरेश शर्मा (स्वयं के नाम) 13121 10 ऑरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स खाता नम्बर 51412151001982 मोनिका शर्मा (पु्त्री) 8201 11 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 167632970 श्री स्रेश शर्मा एवं श्रीमती मंजू शर्मा (पति-पत्नी का संयुक्त) 66041 12 एलआईसी पॉलिसी नम्बर 185449589 श्री स्रेश शर्मा (स्वयं के नाम) 46530 13 एलआईसी पॉलिसी नम्बर 186035075 श्रीमती मंजू शर्मा (पत्नी) 79600 कुल योग 8348790 इस प्रकार चैक पिरियड के अंत में आरोपी द्वारा अर्जित परिसंपत्तियो का कुल मूल्य 83,48,790/-रू. पाया गया है। चैक अवधि दिनांक 10.02.1983 से 13.05.2016 तक में स्वयं श्री सुरेश शर्मा, उसकी पत्नी, बच्चों की शुद्ध आय का विवरण के संबंध में आरोपी सुरेश शर्मा के स्वयं द्वारा वेतन भत्तों से प्राप्त की गयी शुद्ध आय (जीए 55 के अनुसार) एवं मैसर्स स्पीनिगं एसोसिएट द्वारा, मकान किराये से आईटीआर के अनुसार , एलआईसी से मकान निर्माण ऋण, एलआईसी से मकान विस्तार निर्माण ऋण, एलआईसी से मकान मोरगेज ऋण, जी.पी.एफ. स्थाई ऋण, वाहन लोन, जी.पी.एफ. अस्थाई लोन, भवन मरम्मत लोन, जी.पी.एफ. स्थाई ऋण से प्राप्त आय आरोपी सुरेश शर्मा, उसकी पत्नी, बच्चों की शुद्व आय निम्नानुसार है- क्रम संख्या आय का शीर्षक विवरण आय प्राप्ति की दिनांक/वर्ष अवधि किसके द्वारा आय अर्जित की गई-आरोपी से उसका संबंध शुद्र आय (राशि रूपयों में) 1 2 3 4 5 1 श्री सुरेश शर्मा के स्वयं द्वारा वेतन भत्तों से प्राप्त की गयी शुद्ध आय (जीए 55 के अनुसार) एवं मैसर्स स्पीनिगं एसोसिएट द्वारा प्राप्त आय दिनांक 10.02.1983 से 13.05.2016 तक स्वयं के द्वारा अर्जित 4021112 12160 4033272 2 मकान किराये से प्राप्त आय (आईटीआर के अनुसार) मकान किराये से अर्जित 398250 3 अन्य आय 1. मकान निर्माण ऋण (एलआईसी) से ऋण खाता नम्बर 15021009612) वर्ष 2008 श्री सुरेश शर्मा द्वारा 650000 2. मकान विस्तार निर्माण ऋण (एलआईसी से ऋण खाता नम्बर 320700001766) वर्ष 2014 श्री सुरेश शर्मा द्वारा 1073000 3. मकान मोरगेज ऋण (एलआईसी से ऋण खाता नम्बर 320700001764) दिनांक 31.05.2014 श्री सुरेश शर्मा एवं श्री शरद शर्मा (पुत्र) संयुक्त रूप से 1470000 4. जी.पी.एफ. स्थाई ऋण दिनांक 09.05.2015 श्री सुरेश शर्मा द्वारा 284250 5. वाहन लोन से प्राप्त आय दिनांक 31.03.1998 श्री सुरेश शर्मा द्वारा 14100 6 जी.पी.एफ. अस्थाई लोन दिनांक 29.06.1999 श्री सुरेश शर्मा द्वारा 13500 7. जी.पी.एफ. अस्थाई लोन दिनांक 28.07.2000 श्री सुरेश शर्मा द्वारा 9300 8. भवन मरम्मत लोन दिनांक 20.06.2000 श्री सुरेश शर्मा द्वारा 32200 9. जी.पी.एफ. स्थाई ऋण दिनांक 02.06.2010 श्री सुरेश शर्मा द्वारा 184000 कुल योग 8161872 इस प्रकार स्वयं श्री स्रेश शर्मा, उसकी पत्नी, बच्चों की शुद्ध आय द्वारा चैक पिरियड के दौरान वेतन से प्राप्त शुद्ध आय कुल-81,61,872/-रूपये होना पाया गया है। चैक अवधि 10.02.1983 से 13.05.2016 तक में स्वयं श्री सुरेश शर्मा, उसकी पत्नी, बच्चों द्वारा किए गए खर्चों के विवरण के संबंध में आरोपी श्री सुरेश शर्मा द्वारा अपने सेवा काल के दौरान जीए-55 के अनुरूप अर्जित की गयी वेतन भत्तो से प्राप्त आय राशि 48,84,506/-रूपये (सकल आय-आयकर) का 1/3 असत्यापनिय खर्च, आरोपी के पुत्र एवं पुत्री का स्नातक की शिक्षा का खर्च, पुत्र के विवाह पर खर्च, पुत्री के विवाह पर खर्च, श्याम ट्रेडलिंक की कैपिटल निर्माण पर खर्च, कार ऋण पर (ब्याज पर) खर्च, राजस्थान बैंक से पर्सनल लोन 2009 (ब्याज पर) खर्च, एलआईसी से मकान निर्माण ऋण, एलआईसी से मकान विस्तार निर्माण ऋण, एलआईसी से मकान मोरगेज ऋण आदि से संबंधित प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी सुरेश शर्मा, उसकी पत्नी, बच्चों की शुद्ध आय का विवरण निम्नानुसार है- क्रम सं. खर्च का शीर्षक विवरण खर्च करने की दिनांक/वर्ष अवधि किसके द्वारा खर्च किया गया - आरोपी से उसका संबंध खर्च की राशि (राशि रूपयों में) 1 2 3 4 5 1 श्री सुरेश शर्मा द्वारा अपने सेवा काल के दौरान जीए-55 के अनुरूप अर्जित की गयी वेतन भत्तो से प्राप्त आय राशि 48,84,506/-रूपये (सकल आय-आयकर) का 1/3 असत्यापनिय खर्च चैक पीरियड स्वयं द्वारा 1628168.66 2 श्री सुरेश शर्मा के पुत्र एवं पुत्री का स्नातक की शिक्षा का खर्च चैक पीरियड स्वयं द्वारा 250000 3 पुत्र के विवाह पर खर्च चैक पीरियड स्वयं द्वारा 409000 4 पुत्री के विवाह पर खर्च चैक पीरियड स्वयं द्वारा 707250 5 श्याम ट्रेडलिंक करे कैपीटल निर्माण पर खर्च चैक पीरियड स्वयं द्वारा 400000 6 आरोपी द्वारा दिनांक 13.05.2016 तक चुकाये गये ऋण पर खर्च 1. कार ऋण पर (ब्याज पर) खर्च- 2012 चैक पीरियड स्वयं द्वारा 76280 2. राजस्थान बैंक से पर्सनल लोन 2009 (ब्याज पर) खर्च चैक पीरियड स्वयं द्वारा 143423 3 मकान निर्माण ऋण (एलआईसी से ऋण खाता नम्बर 15021009612) चैक पीरियड 13.05.2016 तक कुल जमा राशि 779949 4 मकान विस्तार निर्माण ऋण (एलआईसी से ऋण खाता नम्बर 320700001766) चैक पीरियड 13.05.2016 तक कुल जमा राशि 277412 5 मकान मोरगेज ऋण (एलआईसी से ऋण खाता नम्बर 320700001764) चैक पीरियड श्री सुरेश शर्मा एवं श्री शरद शर्मा (पुत्र) संयुक्त रूप से दिनांक 13.05.2016 तक कुल जमा राशि 431554 कुल खर्च 5103036.66 आरोपी श्री सुरेश शर्मा द्वारा अपने दिये गये स्पष्टीकरण में आरोपी के आवास से वक्त खानातलाशी मिले 12,28,000 रूपये के संबंध में बताया कि यह राशि मेरे पुत्र शरद शर्मा की है जो सेनेटरी की दुकान चलाता है, यह राशि दुकान की विक्रय माल की है। इस संबंध में खानातलाशी की जांच में श्री शरद शर्मा की फर्म श्री श्याम ट्रेडलिंक कोटा की केसबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट से संबंधित प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर उक्त फर्म की क्रय विक्रय व केस बुक में निकट समय में इस प्रकार का कोई भी विक्रय संबंधी लेन देन प्रदर्श नहीं हो रहा है, इसलिए उक्त राशि के संबंध में आरोपी सुरेश शर्मा द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार

आरोपी सुरेश शर्मा द्वारा चैक पिरियड 10.02.1983 से 13.05.2016 तक प्राप्त की गई अर्जित सम्पतियां, आय एवं व्यय निम्नानुसार है - (क). चैक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य -शून्य (ख). चैक पिरियड के अंत में मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य -83,48,790/- रुपये (ग.) चैक पिरियड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य(ख-क)- 83,48,790/-रूपये (घ.) चैक पिरियड के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि -81,61,872/-रूपये (ड.) चैक पिरियड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि -51,03,036.66/-रूपये (च). चैक पिरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां (गड)-1,34,51,826.66/- रूपये (छ). आय से अधिक सम्पत्ति की राशि (च-घ)-52,89,954.66/- रूपये (ज). आय से अधिक सम्पत्ति का प्रतिशत (छ/घ100) - 64.81 प्रतिशत अधिक इस प्रकार आरोपी सुरेश शर्मा द्वारा चैक पिरीयड 10.02.1983 से 13.05.2016 तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त श्री सुरेश शर्मा की आय 81,61,872/- रूपये होकर अर्जित सम्पति का मूल्य 83,48,790/-रूपये एवं व्यय राशि 51,03,036.66/- रूपये की पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 1,34,51,826.66/-रूपये को उपरोक्त आय 81,61,872/-रूपये में से घटाने पर 52,89,954.66/-रूपये की आय से अधिक परिसम्पतियां पाई गई है जो वैध रूप से अर्जित सम्पत्ति से 64.81 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार आरोपी सुरेश शर्मा पुत्र श्री लल्लू लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1-जे-9 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक भामाशाह कृषि उपज मण्डी जिला कोटा द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर अपनी वैध आय से कहीं अधिक की परिसम्पतियाँ अर्जित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी सुरेश शर्मा वरिष्ठ लिपिक, के विरूद्ध जुर्म धारा 13 (1) (ई), 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 व धारा 13(1)(ख), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से आरोपी सुरेश शर्मा पुत्र श्री लल्लू लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1-जे-9 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक भामाशाह कृषि उपज मण्डी जिला कोटा हाल सेवानिवृत्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। (अनिष अहमद) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा......कार्यवाही पुलिस...... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप श्दा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (ई), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 13(1)(ख), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री लल्लू लाल शर्मा, निवासी 1-जे-9 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक, भामाशाह कृषि उपज मण्डी, जिला कोटा हाल सेवानिवृत्त विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 266 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 428-31 दिनांक 17.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2 सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति(अनाज), कोटा। 3 उप-महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):

ghyan Chand Meena

Rank (पद):

उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या) 3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

(4) Transferred to P.S.(थाना):	
on point of jurisdiction (को	क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|) R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14.	4. Signature/Thumb impression of the complainant / infor (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):						

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of (थाना प्रभारी के	e, Police Station

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

District (जिला):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen) (संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	ldentification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	03/07/1958				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

_anguage /Dialect		Others				
(भाषा /बोली)	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	(अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused. (यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)